

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या

11/07/2025

रजि० नं०

2025/30

प्रवेश तिथि

30.01.2025

निर्णय दिनांक

14.05.2025

1- देवदत्त पुत्र नत्थुराम जाति ब्राह्मण निवासी शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

1/1-नन्दलाल पुत्र स्व० देवदत्त जाति ब्राह्मण, निवासी शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

1/2- रघुवीर पुत्र स्व० देवदत्त जाति ब्राह्मण, (मृतक)

1/2/1-पिस्ता देवी स्त्री रघुवीर जाति ब्राह्मण,

1/2/2-संजय रघुवीर जाति ब्राह्मण निवासी शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

1/2/3-किरण पुत्री रघुवीर पत्नी छियत्तरपाल जाति ब्राह्मण निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

1/2/4- कु० अनिता पुत्री रघुवीर जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

1/3 बाबूलाल पुत्र स्व० देवदत्त (मृतक)

1/3/1 -मुन्नी देवी स्त्री बाबूलाल

1/3/2- ईशा पुत्री बाबूलाल पत्नी मोहन जाति ब्राह्मण निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

1/4- कृष्ण पुत्र स्व० देवदत्त जाति ब्राह्मण,

1/5- बिमला देवी स्त्री स्व० देवदत्त जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)(मृतक)

1- अनिल कुमार जोशी पुत्र महावीर प्रसाद जोशी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोद जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) (अपीलान्टान)

2- खुशीराम पुत्र नत्थूराम जाति ब्राह्मण निवासी 221 ब्लॉक सी. जे. जे कॉलोनी रघुवीर नगर दिल्ली-27

3- कमलेश पुत्री नत्थूराम स्त्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी वी- 554, गली न० 2 अरविन्द नगर घोण्डा भजनपुरा उत्तर पूर्व दिल्ली-53 ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

4- तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा। (राजस्थान)

(रेस्पोडेन्टान)

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर नामान्तरण संख्या 3423 वाके ग्राम शामदा निर्णय दिनांक 29.05.2015 जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) जिसके द्वारा बेजा खिलाफ कानून नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनिल कुमार जोशी के पक्ष में स्वीकार किया गया है, को अपास्त किये जानें

उपरिथत-

01. कु० सुषमा शर्मा

- वकील अपीलान्ट

02. श्री रामेश्वर दयाल

- वकील रेस्पोडेन्ट

-: निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 3423 निर्णय दिनांक 29.05.2015 ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा से व्यथित होकर पेश की

अपील कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ने नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्तान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न० 252 रकबा 2.34 है०, 332 रकबा 0.54 है०, 333 रकबा 1.18 है०, कुल किता 3 रकबा 4.06 है० का 1/5 हिस्सा दर 2/3 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा नत्थूराम की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी थी, नत्थूराम द्वारा स्वयं की ग्राम शामदा में स्थित खातेदारी की आराजीयात के संबंध में एक वसीयत अपीलान्त के हक में दिनांक 19.12.1993 को तहरीर की गयी वसीयत सभी परिवार वालो व अपीलान्त व रेस्पोंडेंट व अन्य लोगो के हस्ताक्षर कराये गये। इस प्रकार वसीयत सभी पक्षो के सामने स्वेच्छा पूर्वक सभी परिवार वालो की सहमति से की गयी थी। मुताबिक वसीयत के मिन अपीलान्त ग्राम शामदा मे स्थित आराजीयात का खातेदार काश्तकार काबिज जायदाद हो गया। वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1120 अपीलान्त देवदत्त के हक में स्वीकृत हुआ जिसकी अपील रेस्पोंडेंट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को की गयी। जहाँ से अपील रिमांड होकर तहसीलदार मुण्डावर को भिजवायी गयी। तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा नत्थूराम की विरासत रेस्पोंडेंट के नाम गलत तरीके से चढा दी, अपीलान्त की वसीयत की और गौर नहीं किया गया। जिस आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के यहाँ पेश की गयी। विवादित आराजी पर नत्थूराम के जीवनकाल से उनके देहान्त होने बाद भी अपीलान्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, रेस्पोंडेंट शुरु से ही दिल्ली में रहते है। जो ग्राम शामदा में नहीं रहे है, पिता के सामने ही दिल्ली रहने लग गये। रेस्पोंडेंट का मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा। रेस्पोंडेंट गौर काबिज है, जिन्होंने मिन अपीलान्तान के हकूको को मारने की गरज से एक नुमाइशी बैयनामा बिला जरे बदल व बिला कब्जा दिये ही रेस्पोंडेंट संख्या 1 के हक में पंजीबद्ध कराया है, रेस्पोंडेंटान के द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 को कभी कब्जा नहीं दिया क्योंकि उनका स्वयं का कब्जा ही मौके पर नहीं है। नामान्तकरण दर्ज व मंजूर करते समय कब्जे का बिन्दू अहम होता है, तहत अदालत द्वारा कब्जे के बिन्दू को नजर अंदाज करते हुऐ नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में नामान्तकरण की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के लम्बित है, ऐसी स्थिति में असल नामान्तकरण का अंतिम निस्तारण हुए बिना ही आज्ञा जेर अपील पारित नहीं की जानी चाहिये थी, लेकिन गौर नहीं किया गया। इस बात की जानकारी तहत अदालत को बखूबी थी। विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें भी अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण संख्या 3423 दर्ज व मंजूर नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन गौर नहीं किया गया। अपील अपीलान्त स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 3423 वाके ग्राम शामदा में वर्णित आराजीयात खसरा न० 252/2.34, 332/0.54, 333/1.18 किला 3 रकबा 4.06 है० खुशीराम पुत्र नत्थू, कमला पुत्री नत्थू जाति ब्राह्मण सम. हिस्सा 2/3 साकिन देह खातेदार बाकी बदस्तूर 1/3 हि० दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत द्वारा उक्त नामान्तकरण बयनामा जर्ने रजि० पु. स. 1 जिल्द सं. 455 पृष्ठ सं. 30 कंम संख्या 2015001247 दिनांक 21.05.2015 उपपंजियक द्वारा तस्दीक किया गया है, के आधार पर खातेदार अनिल कुमार जोशी पुत्र महावीर प्रसाद जोशी जाति ब्राह्मण हि. 2/15 सा. बर्डोद तहसील बहरोड खातेदार बाकी बदस्तूर दिनांक 29.05.2015 को स्वीकार किया गया है। अपीलान्त द्वारा बयनामा को निरस्त कराये जाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी है, के बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली के साथ पेश नहीं किया गया है, साथ ही अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है, विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार तय होने है। एक विषय-वस्तु के बाबत अलग-अलग न्यायालय में वाद नहीं चल सकते है, प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार तय सक्षम न्यायालय से होने है, अपील अपीलान्त सारहीन होने के कारण खारिज की जावे। अपने कथन की पुष्टि हेतु आर.आर.टी. 2023 (1) पेज संख्या 93 लगायत 97, आर.आर.टी. 2017 (2) पेज संख्या 1355 लगायत 1358

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्त की बहस पर मनन किया। अपीलान्त का कथन है, कि आराजी खसरा न० 252 रकबा 2.34 है०, 332 रकबा 0.54 है०, 333 रकबा 1.18 है०, कुल किता 3 रकबा 4.06 है० का 1/5 हिस्सा दर 2/3 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर नत्थूराम की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी थी, आराजीयात के संबंध में वसीयत अपीलान्त के हक


दिनांक 19.12.1993 को तहरीर की वसीयत के आधार पर नामान्तरण संख्या 1120 अपीलान्त देवदत्त के नाम में स्वीकृत हुआ जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को की गयी। जहाँ से अपील रिमांड होकर तहसीलदार मुण्डावर को भिजवायी गयी। तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा नत्थूराम की विरासत रेस्पोडेन्ट के नाम गलत तरीके से चढा दी, अपीलान्त की वसीयत की और गौर नहीं किया गया। जिस आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के यहाँ पेश की गयी। विवादित आराजी पर नत्थूराम के जीवनकाल से उनके देहान्त होने बाद भी अपीलान्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, रेस्पोडेन्ट शुरू से ही दिल्ली में रहते हैं। जो ग्राम शामदा में ही रहे हैं, रेस्पोडेन्ट का मौके पर कब्जा नहीं है। रेस्पोडेन्ट गैर काबिज है, अपीलान्तान के हकूको को मारने के लिए गरज से एक नुमाइशी बयानामा बिला जरे बदल व बिला कब्जा दिये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में कब्जा करवाया है, रेस्पोडेन्टान के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कभी कब्जा नहीं दिया क्योंकि उनका स्वयं का कब्जा ही मौके पर नहीं है। नामान्तरण दर्ज व मंजूर करते समय कब्जे का बिन्दू अहम होता है, तहत अदालत द्वारा कब्जे के बिन्दू को नजर अंदाज करते हुए नामान्तरण तस्दीक किया गया है। विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में नामान्तरण की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के लम्बित है, ऐसी स्थिति में असल नामान्तरण का अंतिम निस्तारण हुए बिना ही आज्ञा जेर अपील पारित नहीं की जा सकती है। विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें अपील अधिकार तय होने है। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है, कि नामान्तरण संख्या 3422 वाके ग्राम शामदा में वर्णित आराजीयात खसरा न0 252/2.34, 332/0.54, 333/1.18 किला 3 रकबा 4.06 है0 खुशीराम पुत्र नत्थू, कमला पुत्री नत्थू जाति ब्राह्मण सम. हिस्सा 2/3 साकिन देह खातेदार बाकी बदस्तूर 1/3 हि0 दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत द्वारा नामान्तरण बयानामा जर्गे रजि0 पु. स. 1 जिल्द सं. 455 पृष्ट सं. 30 क्रम संख्या 2015001247 दिनांक 21.05.2015 उपपंजियक द्वारा तस्दीक किया गया है, के आधार पर खातेदार अनिल कुमार जोशी पुत्र महावीर प्रसाद जोशी जाति ब्राह्मण हि. 2/15 सा. बर्डोद तहसील बहरोड खातेदार बाकी बदस्तूर दिनांक 21.05.2015 उपपंजियक द्वारा तस्दीक किया गया है, के आधार पर खातेदार रतन लाल पुत्र रामचन्द्र गुर्जर हि. 2/15 सा. देह खातेदार बाकी बदस्तूर दिनांक 29.05.2015 को स्वीकार किया गया है। अपीलान्त द्वारा बयानामा को निरस्त कराये जाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी है, के बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली के साथ पेश नहीं किया गया है, साथ ही अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है, विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति मे एक विषय-वस्तु के बाबत अलग-अलग न्यायालय में वाद नहीं चल सकते हैं, प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार तय सक्षम न्यायालय से होने है।

तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नामान्तरण संख्या 3423 वाके ग्राम शामदा में वर्णित आराजीयात खसरा न0 252/2.34, 332/0.54, 333/1.18 किला 3 रकबा 4.06 है0 खुशीराम पुत्र नत्थू, कमला पुत्री नत्थू जाति ब्राह्मण सम. हिस्सा 2/3 साकिन देह खातेदार बाकी बदस्तूर 1/3 हि0 दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत द्वारा उक्त नामान्तरण बयानामा जर्गे रजि0 पु. स. 1 जिल्द सं. 455 पृष्ट सं. 30 क्रम संख्या 2015001247 दिनांक 21.05.2015 उपपंजियक द्वारा तस्दीक किया गया है, के आधार पर खातेदार अनिल कुमार जोशी पुत्र महावीर प्रसाद जोशी जाति ब्राह्मण हि. 2/15 सा. बर्डोद तहसील बहरोड खातेदार बाकी बदस्तूर दिनांक 29.05.2015 को स्वीकार किया गया है। अपीलान्त द्वारा बयानामा को निरस्त कराये जाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी है, के बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली के साथ पेश नहीं किया गया है, साथ ही अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है, विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति मे एक विषय-वस्तु के बाबत अलग-अलग न्यायालय में वाद नहीं चल सकते हैं, प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार तय सक्षम न्यायालय से होने है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरण का निस्तारण किया जाता है, तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में चल रहे नियमित वाद की कार्यवाही प्रभावित होगी साथ रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है, कि तहत अदालत द्वारा खातेदारा के मध्य हुए रजिस्टर्ड बयानामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपीलान्त द्वारा किये गये बयानामा को निरस्त कराये जाने हेतु सक्षम न्यायालय के यहा कोई कार्यवाही की गयी है, के बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। तहत अदालत द्वारा विधिवत जाँच कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर-निजारा (राज0)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2015 नामान्तकरण संख्या 3423 ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज.)